<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :-630 / 14</u> संस्थापन दिनांक:-18 / 09 / 14 फाईलिंग नं. 233504004852014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियो</u>जन

वि रू द्व

विजय उर्फ विज्जू पिता कुवरलाल उम्र 22 वर्ष, निवासी मटन मार्केट के पीछे, रेल्वे पटरी के पास, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 11.08.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 01.09.2014 को समय शाम 07:20 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने वार्ड 9 आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मोहिनी उर्फ शारदा और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2014 को सुबह 7 बजे फरियादी उसके घर के सामने खड़ी थी तभी अभियुक्त आया जिससे फरियादी ने उसके द्वारा अभियुक्त को उधार दिये 1,500/— ईलाज कराने के लिए मांगे तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किया जिससे उसे गाल और हाथ में दर्द चोट लगी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 705/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी मोहिनी उर्फ शारदा की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी मोहिनी उर्फ शारदा को अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। <u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u> ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

6 विजय लक्ष्मी (अ.सा.—3) एवं मनीराम (अ.सा.—1) ने अभियुक्त द्वारा फरियादी मोहिनी को गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में धारा 294 एवं 506 भाग—दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

7 विजयलक्ष्मी (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष कोई भी मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। घटना के संबंध में उसे उसकी लड़की मोहिनी ने यह बताया था कि उसके साथ अभियुक्त विजय ने मारपीट किया था। इसी साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने अपनी लड़की मोहिनी की पीठ में लकड़ी के निशान देखे थे। मनीराम (अ.सा.—1) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन को कोई सफलता अभियोजन को प्राप्त नहीं हुई है।

- 8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—2) ने दिनांक 01.09.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मोहिनी का परीक्षण किये जाने पर उसकी दांहिनी भुजा पर दर्द एवं दोनों गालों पर बुश के निशान पाये थे। साक्षी ने आहत को आयी चोट फ्रेश एवं सख्त तथा बोथरे हथियार से आना बताते हुए चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री—2) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये है।
- 9 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—4) ने दिनांक 01.09.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 705/14 की विवेचना कार्यवाही में उक्त दिनांक को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—4) तैयार किया जाना एवं दिनांक 12.09.2014 को अभियुक्त विजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र (प्रदर्श प्री—5) तैयार किया जाना प्रकट किया है। उक्त साक्षी ने प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किये हैं।
- 10 अभियोजन कथा अनुसार विजयलक्ष्मी (अ.सा.—3) एवं मनीराम (अ.सा.—1) प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी हैं परंतु इन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। विजयलक्ष्मी (अ.सा.—3) ने अपनी लड़की / फरियादी मोहिनी की पीठ पर लकड़ी के निशान देखे जाना बताया है। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त द्वारा मारपीट से फरियादी के हाथ एवं गाल में चोट आयी थी। घटना सुबह 7 बजे की है। उपर्युक्त फरियादी मोहिनी का मेडिकल मुलाहिजा घटना दिनांक को दोपहर में 01:10 बजे किया गया अर्थात घटना से लगभग 6 घंटे बाद किया गया है। जबिक डॉक्टर एन. के. रोहित (अ.सा.—2) ने अपने अभिमत में आहत को आयी चोट फ्रेश होना बताया है। आहत / फरियादी के दोनों गालों में बुश के निशान जो कि फ्रेश थे यह चिकित्सकीय परीक्षण में पाया गया है। ऐसी स्थिति में जबिक चिकित्सकीय साक्षी ने आहत को आयी चोट फ्रेश होना बताया है, घटना परीक्षण से करीब 6 घंटे पूर्व की थी तब ऐसी दशा में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आहत को आयी चोट अभियोजन द्वारा वर्णित अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा ही कारित की गयी थी।
- 11 प्रकरण में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। आहत को आयी चोट अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने के संबंध में

संदेह की स्थिति निर्मित है। अतः ऐसी दशा में अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

- 12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.09. 2014 को समय शाम 07:20 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने वार्ड 9 आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मोहिनी उर्फ शारदा और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त विजय उर्फ विज्जू को धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा. दं.सं. के आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)